श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 04.12.2014 को आयोजित कीटनाशक प्रबंधन की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

1. राज्य में मात्र एक प्रयोगशाला कार्यरत है, जिसके कारण वर्ष में 1000 (एक हजार) से भी कम नमूनों की जाँच हो पाती है। तीन प्रयोगशाला यथा भागलपुर, सहरसा एवं मुजफ्फरपुर का भवन बनकर तैयार हो गया है। इन्हें चालू किया जाना है। संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान) इन प्रयोगशालाओं को 31 जनवरी 2015 तक चालू करवायें।

   (अनुपालनः– संयुक्त कृषि निदेशक, उपयोगी अनुसंधान)

2. माह अप्रैल से नवम्बर तक के 616 के लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 425 नमूने विश्लेषित हुए हैं। संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) बैकलॉग को अगले 4 महीने के अंदर निश्चित रूप से पूर्ण करवायें। इस हेतु आवश्यक अतिरिक्त दायित्व संबंधितों को दिया जाय। अब तक विश्लेषित 425 नमूनों में से मात्र 10 नमूने अमानक पाये गये हैं। यह 2.11% है। अगली बैठक में बताया जाय कि देशव्यापी अमानक नमूने की संख्या का प्रतिशत क्या है? पिछले तीन वर्षों में अमानक नमूनों का क्या प्रतिशत रहा है?
3. अमानक नमूनों के संभी 10 दृष्टांतों में से 7 नमूने CSTL में Retesting हेतु लंबित हैं। 03 की रिपोर्ट आ गयी है जिसे अमानक पाया गया है और अभियोजन दायर हो गया है।
4. मेरी ओर से संयुक्त सचिव, भारत सरकार को अर्द्ध सरकारी पत्र भेजा जाय कि लंबित मामलों में त्वरित रिपोर्ट भेजा जाय।
5. भारत सरकार की एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला बिहार में स्थापित होनी है। उसके लिए स्मार भेजा जाय।
6. **निरीक्षण की स्थिति** :–

   (i) राज्य में लगभग 3000 (तीन हजार) अनुज्ञप्तिधारी हैं। औसतन प्रति प्रतिष्ठान का दो बार की दर से लगभग 6,000 निरीक्षण होने चाहिए, लेकिन इस वर्ष मात्र 270 निरीक्षण हुये हैं, जो अत्यंत ही नगण्य हैं। स्पष्टतः सरकार का प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।

   (ii) जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, उप निदेशक (पौधा संरक्षण) को शक्तियाँ प्रदत्त है, लेकिन देखा गया है कि इसका उचित अनुश्रवण नहीं हुआ है। मात्र कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, उप निदेशक (पौधा संरक्षण) द्वारा जो निरीक्षण किये जा रहे हैं, वे ही प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं, अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है।

   (iii) प्रशासनिक सहूलियत के लिए जिला कृषि पदाधिकारी एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के बीच प्रखंड संबद्ध किया जाय और उन्हें निर्देश दिया जाय कि एक सप्ताह में कम से कम एक प्रतिष्ठान का वे अनिवार्यतः सालों भर निरीक्षण करें।

(iv) कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी को सप्ताह में कम से कम तीन निरीक्षण करना चाहिए।

(v) निरीक्षण टिप्पणी के प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) ऑनलाईन पोर्टल खोलें, जिसमें निरीक्षण के समय ही टिप्पणी संबंधित पदाधिकारी द्वारा प्रविष्ट कर दी जाय।

6. संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), जिला कृषि पदाधिकारियों को एक आदेश जारी करें, जिसमें जिला कार्यालयों में शिविर लगाकर योग्य व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु निर्देशित किया जाय।

7. राज्य में कीटनाशी के अवैध व्यापार के रोकथाम के लिए जिला दंडाधिकारियों को प्रधान सचिव की ओर से एक पत्र भेजा जाय, जिसमें यह अनुरोध किया जाय कि वे कीटनाशी के अवैध व्यापार के रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठायें।

8. संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) एक हेल्पलाईन के माध्यम से किसानों से शिकायतें प्राप्त करने की व्यवस्था करें।

9. जिलावार निरीक्षण की संख्या का अवलोकन करने से विदित होता है कि अनेकों जिलों में 5 से कम निरीक्षण किये गये हैं। यह अक्षम्य है। सभी कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी को कड़ी हिदायत दी जाय कि इस महीने के अंत तक वे बैकलॉग को दूर करें।

10. राज्य में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारियों को यह निर्देश दिया जाय कि वे आपूर्ति की जा रही कीटनाशी के संबंध में नियमित रूप से रिपोर्ट संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) को दें। इस हेतु संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) एक ऑनलाईन रिपोर्ट की व्यवस्था करें, जिसमें Real Time ऑनलाईन रिपोर्टिंग हो सके।

11. पिछले 5 वर्षों में जिन–जिन मामलों में अभियोजन दायर किया गया है, उसकी सूची लगाते हुए प्रधान सचिव के स्तर से जिला दंडाधिकारियों एवं लोक अभियोजकों को अनुरोध किया जाय कि इन मामलों में त्वरित ट्रायल करके प्रभावी कार्रवाई की जाय।

8/12/14

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव, कृषि विभाग

ज्ञापांक 219 (P.S) कृ०/पटना, दिनांक 08-12-2014

प्रतिलिपि :– निदेशक, कृषि/संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान)/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/12/14

प्रधान सचिव, कृषि विभाग

ज्ञापांक 219 (P.S) कृ०/पटना, दिनांक 08-12-2014

प्रतिलिपि :– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/12/14

प्रधान सचिव, कृषि विभाग

DK